न्यायालय- राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र.   /2014 पुनरीक्षण याचिका

R 1505-I/14

1. सरदार सिंह
2. ज्ञान सिंह — पुत्रगण- कमल सिंह
3. लालू सिंह

समस्त निवासीगण- ग्राम पांडरी तहसील

व जिला- भिण्ड म0प्र0

---{पुनरीक्षण कर्तागण}

"बनाम"

1. राहुल सिंह तोमर पुत्र राजेन्द्र सिंह
2. बृजेन्द्र सिंह तोमर पुत्र जगदीश सिंह

निवासीगण- ग्राम चंदोखर परगना गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

--{प्रति पुनरीक्षण कर्तागण}

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र भू.रा.सं. 1959 माननीय नायब तहसीलदार वृत उमरी तहसील भिण्ड के प्रकरण क्र. 13/10-11 अ-6 के आदेश पत्रिका दिनांक- 05/03/2014 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत ,

---

श्रीमान् जी,

सेवा में याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है : --

क्रमशः--2 पर

XXIX(a)-BR(H)-11

(119)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1505-दो/14 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	